



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

संख्या: 78/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक : 27 जून, 2023

अधिमानी अर्हता विषयक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित ए0पी0आई0 स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक अभिलेख प्राप्त किये गये थे, जिसके क्रम में गणित (Mathematics) विषय के कतिपय अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावे को संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण तालिका के कॉलम-03 के अनुसार मा0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया है:-

क्रमांक	विषय	अनुक्रमांक
(1)	(2)	(3)
1	518840	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
2	518854	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
3	518905	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा नेशनल सेमिनार प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
4	518952	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
5	519005	<p>01. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।</p> <p>02. अभ्यर्थी द्वारा विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक सत्र 2018-19 में कुल 01 माह 23 दिन की कार्यावधि का परि0-05 संलग्न किया है जो केन्द्रीय यूनिवर्सिटी एच0एन0बी0 गढ़वाल विश्वविद्यालय का होने के कारण शैक्षिक सत्र 2018-19 का लाभ मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक सत्र 2019-20 से अद्यतन तक संलग्न परिशिष्ट-05 अशासकीय विद्यालय, बाल गंगा महाविद्यालय में कार्यरत होने का प्रस्तुत किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड का राजकीय महाविद्यालय का नहीं है। अतः उक्त हेतु शैक्षिक सत्र तथा परिशिष्ट-05 के अन्तर्गत बोनस अंक का लाभ मान्य नहीं है।</p>

